



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220675
CG-DL-E-24072020-220675

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2132]
No. 2132]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/श्रावण 1, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SHRAVANA 1, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

का.आ. 2417(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के कैमूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भू-अर्जन अधिकारी, कैमूर, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए कैमूर जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिले का नाम	सकिल का नाम	ग्राम का नाम	थाना नं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कैमूर	दुर्गावती	रोहुआँ	54	130	0.0012
2					129	0.0098
3					128	0.0050
4					127	0.0114
5					126	0.0225
6					121	0.0220
7					168	0.0140
8					167	0.0700
9					169	0.0504
10					170	0.0108
11					177	0.0364
12					182	0.0421
13					180	0.0020
14					181	0.0260
15					184	0.0600
16					185	0.1427
17					187	0.0020
18					113	0.0444
19					111	0.0081
20					112	0.0072
21					114	0.0084
22					119	0.0101
23					120	0.0108
24					179	0.0010
25	कैमूर	दुर्गावती	चेहरियाँ	56	655	0.0849
26					654	0.0405
27					651	0.0480
28					628	0.1190
29					649	0.0660
30					370	0.0020
31					629	0.1164

32	कैमूर	भभुआ	मिरियाँ	587	338	0.0620
33					351	0.0560
34					352	0.0700
35					353	0.0121
36					364	0.0061
37					354	0.1344
38					1762	0.0280
39					1763	0.0216
40					1764	0.0300
41					1778	0.0020
42	कैमूर	दुर्गावती	डिड़िखिली	119	68/548	0.3150
43	कैमूर	दुर्गावती	दहियाँव	109	208	0.0512
44					229	0.0200
45	कैमूर	दुर्गावती	कर्णपुरा	118	1169	0.0226

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2031]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

S.O. 2417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of **Kaimur** in the State of Bihar hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, **District Land Acquisition Officer, Kaimur, Bihar** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Kaimur in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Circle	Name of the Village	Thana No.	Survey No.	Area (in hectares)
1	Kaimur	Durgawati	Rohua	54	130	0.0012
2					129	0.0098
3					128	0.0050
4					127	0.0114
5					126	0.0225
6					121	0.0220
7					168	0.0140
8					167	0.0700
9					169	0.0504
10					170	0.0108
11					177	0.0364
12					182	0.0421
13					180	0.0020
14					181	0.0260
15					184	0.0600
16					185	0.1427
17					187	0.0020
18					113	0.0444
19					111	0.0081
20					112	0.0072
21					114	0.0084
22					119	0.0101
23					120	0.0108
24					179	0.0010
25	Kaimur	Durgawati	Chehariya	56	655	0.0849
26					654	0.0405
27					651	0.0480
28					628	0.1190
29					649	0.0660
30					370	0.0020
31					629	0.1164
32	Kaimur	Bhabhua	Miriya	587	338	0.0620
33					351	0.0560
34					352	0.0700
35					353	0.0121
36					364	0.0061
37					354	0.1344
38					1762	0.0280
39					1763	0.0216
40					1764	0.0300

41					1778	0.0020
42	Kaimur	Durgawati	Didikhili	119	68/548	0.3150
43	Kaimur	Durgawati	Dahiyaw	109	208	0.0512
44					229	0.0200
45	Kaimur	Durgawati	Karnpura	118	1169	0.0226

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2031]

A.K.SINHA, Executive Director (Land & Amenities)